

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख नंबर संख्या- 156/2020-21(व/11)

दिनांक

3/9/2020

आदेश फलक

अभियुक्ति

वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ड्राफ्ट-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि का कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रयोग की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि

मौजा- गोइतौपा थाना नं- 184, खाता संख्या- 98, प्लॉट संख्या- 1122, रकबा- 1.00 एठ, एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ

खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 2 के पृष्ठ संख्या- 503 पर जमाबंदी रैयत बिहारी महलिव पिता मनभूम महलिव के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसको बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19/9/2020 को उपस्थापित करें।

03/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

गाद अभिलेख संख्या- 156/2020-21(पु) 2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act,1950)

सूचना

नाम विन्हा मलिक
 पिता- मनभूम मलिक
साठ- गौड़तौपा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- गौड़तौपा थाना नं०-
184 खाता नं०- 98 खेसरा नं०- 1122
 रकबा- 1.00 ए० से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- VII के पंजी II भाग 2
 के पृष्ठ 503 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम
 से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 19/9/2020 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न
 में उक्त भूमि का रिटर्न-I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
 जमींदार रसीदों फार्म ड एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
 रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि
 पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना
 पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
 नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज
 जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

03/9/20

अंचल अधिकारी
 गोविन्दपुर

तिथि :-

.....

स्थान :-

.....

अधिकार सम्पादन: अतिरिक्त अधिकार प्राप्त: विहित विधि से सम्बन्धी
विषय/अवस्थापना विषय से सम्बन्धित होने पर प्राप्त होने वाले अधिकार विधि से सम्बन्धित
अधिकार नहीं किन्तु प्राप्त होने से सम्बन्धित होने से प्राप्त होगा।

यदि प्राप्त अवस्थापना की अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होने पर विहित (अवस्थापना) विधि सुबोध अधिकारिता
प्राप्त की जाएगी) से प्राप्त अवस्थापना का प्रमाण हेतु अनुमति की जाती है। अधिकार
कार्यवाही हेतु अधिकार प्राप्त है सुबोध सम्बन्धितों को प्राप्त।



अध्यक्ष अधिकारी
संस्थान